

न्यायालय कलेक्टर, धमतरी, छत्तीसगढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

क्रमांक 10609 /रीडर/2016

धमतरी, दिनांक 3-11-2016

जिला धमतरी के अन्तर्गत निम्नानुसार ग्रामों के निम्नानुसार राजस्व वन भूमि के रकबा में कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.रा.वि.पारे.कं.मर्यादित, रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. नगरी-इन्दागांव विद्युत पारेषण लाईन निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित।

राजस्व वनभूमि के प्रभावित क्षेत्र का विवरण:-

क्र.	ग्राम	खसरा न०	कुल प्रभावित रकबा(हे०)
1.	चमेदा	07	0.122

उपरोक्तानुसार जिला-धमतरी के अंतर्गत राजस्व वनभूमि में 0.122 हे० में 132 के.व्ही. लाईन निर्माण का कार्य कराने हेतु राजस्व वन भूमि को प्रत्यावर्तन कराने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

C.R. 107/11
कलेक्टर
जिला- धमतरी
छत्तीसगढ़ (छ.ग.)